न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: ~~107~~ 31/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/~~57~~ 128

अपीलाण्ट :–
डाइनेमिक माइनकेम प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत पता एक्सप्रेस जोन, ए विंग दसवा माला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई 400063 जरिये डायरेक्टर श्यामसुन्दर लोहिया पुत्र श्री बालकिशन लोहिया, निवासी राधावल्लभ, प्लॉट संख्या 124, माहेश्वरी ग्रीन पार्क खसरा संख्या 76 बी.आर. बिड़ला स्कूल के पास, पी.एफ. ऑफिस रोड़ जोधपुर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. कानाराम पुत्र राणाराम
2. कमला पत्नी मोहन
3. महेन्द्र पुत्र मोहन
   जातिगण भाट, निवासीगण बलदों की ढ़ाणी, तहसील व जिला पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र व्यास

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 19.05.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार, पाली के नामान्तरकरण संख्या 1416 दिनांक 04.03.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट्स बाद तामील बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित आये। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम जवडिया, पटवारी हल्का पुनायता भू–अभिलेख निरीक्षक पाली के खसरा संख्या 612 व खसरा संख्या 613 कुल रकबा 39.05 हेक्टेयर अपीलाण्ट के खातेदारी की थी। जैर आराजी भूमि अपीलाण्ट द्वारा अमित राठी पुत्र आनन्द किशोर राठी से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 20.12.2005 को खरीद की गई थी तथा अमित राठी द्वारा उक्त भूमि श्रीमती अणसी बेवा शंकर, गंगा बेवा मोती, मदन, किशन, ओमप्रकाश पुत्र मोती, राणाराम पुत्र हेमा तथा गिरधारी पुत्र माना से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 17.06.2005 को खरीद की गई थी। अमित राठी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को खातेदार राणाराम के वारिसान् द्वारा निरस्त करने हेतु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पाली के समक्ष दीवानी वाद संख्या 05/2011 बअनवान कानाराम बनाम डाइनेमिक माइनकेम व अन्य के रूप में पंजीकृत होकर दिनांक 05.09.2012 को खारिज हुआ था। उक्त निर्णय की रेस्पो. संख्या 01 से 03 द्वारा जिला न्यायालय पाली में अपील प्रस्तुत की गई थी जो अपील दिनांक 13.09.2021 को स्वीकार कर अमित राठी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख अपीलाण्ट के हक हिस्से तक निरस्त किये जाने की डिक्री की गई थी। उक्त अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध

अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील प्रस्तुत की गई थी जो अपील एस.बी. सिविल द्वितीय अपील संख्या 32/2022 बअनवान डायनेमिक माइनकेम बनाम कानाराम व अन्य के रूप में दर्ज होकर दिनांक 27.04.2022 को जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2021 को पारित निर्णय व डिक्री की पालना व प्रभाव स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त अपील व वाद में रेस्पो. संख्या 04 पक्षकार के रूप में नियोजित था जिस कारण उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त स्थगन आदेश 13.09.2021 की जानकारी होने के बावजूद भी उसके द्वारा माननीय जिला न्यायालय पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया जो काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में समायतशुदा बहस, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया तो प्रकट आया अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि रेस्पो. के पूर्वज द्वारा ग्राम जवडिया, पटवार क्षेत्र पुनायता तहसील पाली की सरहद के खसरा संख्या 612 रकबा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 613 रकबा 34 बीघा दिनांक 17.06.2005 को बेचान कर दिया। उक्त बेचान के विरूद्ध रेस्पो. द्वारा एक वाद न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पाली के यहां दर्ज करवाया गया जिसमें उक्त वाद दिनांक 05.09.2012 को खारिज हुआ। उक्त निर्णय दिनांक 05.09.2012 की एक अपील माननीय न्यायालय, जिला न्यायाधीश पाली के यहां प्रस्तुत की गई एवं उक्त अपील दिनांक 13.09.2021 को स्वीकार कर रेस्पो. के पक्ष में डिक्री की गई। उक्त निर्णय दिनांक 13.09.2021 की एक अपील उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 27.04.2022 को जिला न्यायालय पाली के आदेश दिनांक 13.09.2021 को पारित निर्णय व डिक्री की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के यहां प्रस्तुत उक्त अपील में सभी रेस्पोडेण्ट्स बतौर पक्षकार संयोजित है, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार रेस्पो. संख्या 04 की उक्त अपील में तामील होने के बावजूद भी रेस्पो. संख्या 04 द्वारा रेस्पो. के पक्ष में माननीय न्यायालय, जिला न्यायाधीश पाली द्वारा पारित डिक्री 13.09.2021 की पालना में जैर नामान्तरकरण संख्या 1416 दिनांक 04.03.2024 स्वीकृत कर दिया।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजियात को लेकर रेस्पो. संख्या 01 लगायत 04 को शामिल करते हुए अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय, जिला न्यायाधीश पाली द्वारा पारित डिक्री 13.09.2021 के विरूद्ध एक अपील एस.बी. सिविल प्रकरण संख्या 32/2022 को प्रस्तुत की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अपील में रेस्पो. संख्या 04 की तामिली हो चुकी है। उक्त अपील में माननीय न्यायालय, जिला न्यायाधीश पाली द्वारा पारित आदेश व डिक्री 13.09.2021 के पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने के निर्देश जारीशुदा है।

उक्त समग्र विवेचन से यह सुस्पष्ट होता है कि जैर नामान्तरकरण संख्या 1416 जो कि दिनांक 04.03.2024 को दर्ज किया गया है उस दिनांक को अन्तिम निषेधाज्ञा प्रचलित थी तथा रेस्पोडेण्ट्स को उसकी सचेष्ट जानकारी थी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 52 Transfer Of Property Act 1882 वाद के दौरान किसी प्रकार का विक्रय/हस्तानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखी जानी चाहिए परन्तु उक्त प्रकरण में निषेधाज्ञा प्रचलित होने व उसकी जानकारी होने के बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 1416 को खोला जाना प्रथम–दृष्ट्या विधि–विरूद्ध प्रतीत होता है। लिहाजा विवादित नामान्तरकरण संख्या 1416 विधि विरूद्ध एवं निषेधाज्ञा के प्रचलित होने के कारण अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार पाली को इन निर्देशों के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि वे हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के एस. बी. सिविल अपील प्रकरण संख्या 32/2022 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 27.04.2022 में प्रदत्त निर्देशानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक **19.05.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली